रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02122020-223439
CG-DL-E-02122020-223439

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3786] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 2, 2020/अग्रहायण 11, 1942
No. 3786] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 2, 2020/AGRAHAYANA 11, 1942

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4301(अ).—सेवाओं अथवा फ़ायदों अथवा सहायिकिओं के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग, सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, उनमें पारदर्शिता तथा दक्षता लाता है, और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक एवं निर्बाध रीति से सीधे अपनी हकदारियों को प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता को कम करता है;

और जबकि, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात विभाग कहा गया है) औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम की केंद्रीय सेक्टर स्कीम – व्यक्तियों, स्टार्ट अप्स और सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्योग में नवाचार संवर्धन (प्रिज्म)(जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है, जो नए विचारों और समाधानों को विकसित करने हेतु परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो जन साधारण के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन और सुधार करेंगी। यह स्कीम सार्वजनिक वित्त-पोषित संस्थानों जैसे- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विश्वविद्यालयों, प्रौद्योगिकी कारबार इन्क्यूबेटरों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्कों, नवाचार केन्द्रों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात सामूहिक रूप से कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) में सृजित आउटरीच केन्द्रों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है;

और जबकि, इस स्कीम के अंतर्गत, जमीनी-स्तर के नवोन्मेषकों तथा छात्र नवोन्मेषकों समेत भारतीय नागरिकों को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात सामूहिक रूप से फ़ायदाग्राही कहा गया है) को वर्तमान स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार,

अपने समावेशी नवाचारों में सहयोग करने के लिए अनुदान सहायता प्रोत्साहन (जिसे इसमें इसके पश्चात फ़ायदा कहा गया है) उपलब्ध कराया जाता है;

और जबकि, पूर्वोक्त स्कीम में भारत की समेकित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्वलित शामिल है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकिओं, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात –

1. (1) इस स्कीम के अंतर्गत फ़ायदा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति से अपेक्षा की जाएगी कि वह आधार संख्या रखने अथवा आधार अधिप्रमाणन करवाए जाने का सबूत प्रस्तुत करे।

(2) इस स्कीम के अंतर्गत फ़ायदा प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसके पास आधार संख्या नहीं है अथवा जिसने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं कराया है, से आवेदन करने की अपेक्षा की जाएगी बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवाने के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) वेबसाइट:www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची] पर जाएगा।

(3) आधार (नामांकन तथा अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वियन अभिकरणों के माध्यम से अपेक्षा की जाती है कि वह उन फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करे जो आधार के लिए अभी तक नामांकित नहीं किए गए हैं और यदि संबन्धित ब्लॉक अथवा तालुका अथवा तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है तो विभाग अपनी कार्यान्वियन अभिकर्ता के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके अथवा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का स्वयं रजिस्ट्रार बनकर, सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा :

परंतु यह तब जबकि जब तक व्यक्ति को आधार नहीं सौंप दिया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए, इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाएंगे : –

(क) यदि उसका नामांकन हो गया है तो उसका आधार नामांकन पहचान स्लिप; तथा

(ख) निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज़, अर्थात –

(i) बैंक अथवा डाकघर पासबुक जिसमें फोटो लगा हो; अथवा

(ii) स्थायी खाता संख्या (पेन) कार्ड; अथवा

(iii) पासपोर्ट; अथवा

(iv) राशन कार्ड; अथवा

(v) मतदाता पहचान पत्र; अथवा

(vi) मनरेगा कार्ड; अथवा

(vii) किसान फोटो पासबुक; अथवा

(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; अथवा

(ix) किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा किसी तहसीलदार द्वारा शासकीय लैटरहेड पर जारी ऐसे व्यक्ति का फोटो वाला पहचान प्रमाण-पत्र; अथवा

(x) विभाग द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज़;

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेज़ की जांच, इस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाए।

2. फायदाग्राहियों को इस स्कीम के अंतर्गत सुविधाजनक और विघ्नरहित फ़ायदा प्रदान करने की दृष्टि से, विभाग अपने कार्यान्वियन अभिकर्ताओं के माध्यम से, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ करेगा कि फायदाग्रहियों को उक्त अपेक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रसार-प्रचार किया जाए।

3. ऐसे सभी मामलों में, जहां फायदाग्राहियों के खराब बायोमेट्रिक के कारण अथवा किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन नहीं हो पाता है, वहाँ निम्नलिखित उपचारी क्रिया-विधि अपनाई जाएगी, अर्थात -

(क) अंगुली-छाप सही नहीं आने की दशा में, अधिप्रमाणन के लिए आँख की पुतली का स्कैन अथवा चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, जिसके द्वारा विभाग निर्बाध रीति से फ़ायदों के परिदान के लिए अपने कार्यान्वियन अभिकर्ताओं के माध्यम से अंगुली-छाप अधिप्रमाणीकरण सहित आइरिस स्कैनरों अथवा चेहरा अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगा।

(ख) यदि अंगुली-छाप अथवा आँख की पुतली के स्कैन अथवा चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं हो पाता है, तो जहां भी साध्य हो और अनुज्ञेय हो, यथास्थिति, आधार वन टाइम पासवर्ड अथवा सीमित समय मान्यता वाले टाइम-बेस्ड वन टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन प्रदान किया जाएगा।

(ग) ऐसे अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमेट्रिक अथवा आधार वन टाइम पासवर्ड अथवा टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहाँ इस स्कीम के अंतर्गत उस भौतिक आधार पत्र के आधार पर फ़ायदे प्रदान किए जाएँ जिसकी अधिप्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित उत्तर (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और विभाग द्वारा अपने कार्यान्वियन अभिकर्ताओं के माध्यम से, क्यूआर कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था सुविधाजनक अवस्थानों पर कराई जाएगी।

4. यह सुनिश्चित किए जाने के लिए कि इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी वास्तविक फायदाग्राही अपने यथोचित फ़ायदा से वंचित न रह जाए, विभाग अपने कार्यान्वियन अभिकर्ताओं के माध्यम से, डाइरेक्ट बेनिफ़िट ट्रान्सफर मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी तारीख 19 दिसंबर, 2017 (https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध) में यथा-विनिर्दिष्ट आपवादिक कार्य-संचालन क्रिया-विधि का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासनों में, असम और मेघालय राज्यों को छोड़कर, प्रभावी होगी ।

[फा. सं. डीएसआईआर/डीबीटी_आधार/2020-21]

के. आर. वैधीस्वरन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Scientific and Industrial Research)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2020

S.O. 4301(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one’s identity;

And whereas, the Department of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology in the Government of India (*hereinafter referred to as the Department*), is administering the Central Sector Scheme of Industrial Research and Development Programme – **Promoting Innovations in Individuals, Start-ups and Micro, Small and Medium Enterprises (PRISM)** (*hereinafter referred to as the Scheme*) , which provides financial assistance to support projects for developing new ideas and solutions that will directly change and improve the lives of the common people. The scheme is implemented through the Outreach Centres created at public funded institutions such as Indian Institute of Technology , Council of Scientific and Industrial Research Laboratories , National Institute of Technology, Universities, Technology Business Incubators, Science and Technology Parks, Innovation Centres (hereinafter collectively referred to as the Implementing Agencies);

And whereas, under the Scheme, grants-in-aid support (hereinafter referred to as the benefits) is provided to the Indian Citizens including grassroots innovators and student innovators (*hereinafter collectively referred to as the beneficiaries*) for supporting their inclusive innovations, as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby require to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the training programme provided he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website: www.uidai.gov.in] to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:–

(a) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:-

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA card, or

(vii) Kisan Photo passbook, or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Schemes, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the concerned Department in the State Governments and Union Territory Administrations shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission , Cabinet Secretariat, Government of India no. D-26011/04/2017-DBT dated the 19th December, 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory administrations, except the States of Assam and Meghalaya.

[F. No. DSIR/DBT_Aadhaar/2020-21]

K. R. VAIDHEESWARAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.02 22:32:26 +05'30'